

परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनर) के वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण हेतु आवेदन

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1(2) एफ डी/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के प्राधानान्तर्गत दो वर्ष के परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त व.अ./व.शा.शि.की परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर नियमित वेतनमान प्रदत्त करने/सेवा स्थाईकरण हेतु आवेदन पत्र:-

1	नाम (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)	
2	पद व विषय	
3	मूल मेरिट एवं संशोधित मेरिट क्रमांक मय आरपीएसी भर्ती वर्ष	
4	पिता का नाम	
5	जन्म तिथि	
6	कार्यग्रहण तिथि	
7	कार्यग्रहण दिनांक (आदेश संलग्न करे)	दोपहर पूर्व/पश्चात्
8	पद पर अनवरत कार्यरत है या नहीं	
9	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	
10	पद पर नियमित वेतनमान की प्रस्तावित तिथि	
11	परीक्षा परिणाम कक्षा व सत्रवार (संलग्न करे)	
12	संस्था प्रधान के दूरभाष/मोबाईल नम्बर	

13 परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का सेवा विवरण

क्र.स	विद्यालय का नाम	कार्यरत अवधि –कब से कब तक	विशेष विवरण
1			
2			
3			

14. उपभोग किये गये अवकाशों का विवरण –

आकस्मिक अवकाश के अलावा स्वीकृत किये गये अवकाशों के आदेशों,या सेवा पुस्तिका के अवकाश इन्द्राज पृष्ठ की प्रति संलग्न करें।

क्र.स	अवकाश का प्रकार	अवकाश का दिनांकवार विवरण	कुल संख्या
1	प्रसुति अवकाश		
2	पितृत्व अवकाश		
3	अवैतनिक अवकाश		
4	परिवर्तित अवकाश		
5	आकस्मिक अवकाश (पद पर कार्यग्रहण तिथि से)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष	
6	अन्य अवकाश		

दिनांक

हस्ताक्षर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी

विद्यालय का नाम—

कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीपद
.....विषयका उपरोक्त विवरण
विद्यालय/कार्यलय में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है तथा पूर्णतः सही है। इनकी प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि
के दौरान कक्षा 08 एवं 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम विभागीय मानदंडों से न्यून नहीं रहा है। उक्त कामिक के विरुद्ध
सीसीए 16-17 में कोई अनुशासनात्मक विभागीय जांच/कार्यवाही नहीं चल रही है एवं न ही प्रस्तावित है। उक्त अवधि
में इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। इनका कार्य व व्यवहार सन्तोषजनक है। इनको
दिनांकसे राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 21
अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार नियमित वेतन श्रृंखला एवं देय अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किए जाने एवं सेवा
स्थाईकरण की अभिशंषा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर व मोहर

कार्यालय:-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

क्रमांक :-

दिनांक :-

श्री/श्रीमती/सुश्रीपदपदस्थापन स्थान
.....जिलाद्वारा परीवीक्षाकाल की अवधि
सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने, परीक्षा परिणाम विभागीय मानदण्डों से न्यून न रहने तथा इनके विरुद्ध किसी तरह की
अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं होने पर संस्था प्रधान की अभिशंषा को मध्यनजर रखते हुये इनको
नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने एवं इनकी सेवायें स्थाईकरण की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के
हस्ताक्षर व मोहर